

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

33777 - ज़कात के हक़दार को इस बात से सूचित करना ज़रूरी नहीं कि यह माल ज़कात है

---

## प्रश्न

मैं ने अपने मामू को कुछ राशि भेजी और उन्हें यह नहीं बतलाया कि वह राशि ज़कात है ; इसलिए कि अगर मैं उन्हें यह बतलाया होता कि वह ज़कात है तो वह उसे नहीं लेते। मैं ने यह मामला अपने और अल्लाह के बीच छोड़ दिया। क्या मेरी ज़कात सही है ?

## विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

अगर आप ने अपनी ज़कात उस आदमी को भुगतान कर दी जिसके बारे में आप यह जानते हैं कि वह उसका हक़दार है तो यह सही ज़कात है, और हम आशा करते हैं कि अल्लाह तआला इसे आप से क़बूल फरमाएगा। आपके लिए लेनेवाले को इस बात से सूचित करना ज़रूरी नहीं है कि वह ज़कात है।

और अल्लाह तआला ही तौफ़ीक़ प्रदान करने वाला है।